

2-11/0

9/10/2017
18/1/17



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोविन्द लाल रघुवंशी 2. वर्तमान धारित पद सहायक मजदूर
3. वर्तमान वेतन 24600 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1) गाँव - चतुरखेडा तहसील - खजुराहो जिला - दशरगवाड़ा	मिट्टीका कुबेलाका कुम्हारभवन 1000 फीट	कुबेलाभूमि 12 एकड़ लगभग	लगभग 15,00,000 रु. (पंचायत द्वारा खरीदा)	स्वयं के नाम से खरीदा संपत्ति है।	1) पूर्वजों से प्राप्त	1) कुबेला मूल्य 1000 रु. रु. 1000 है। 2-50,000 रु. संलग्न संपत्ति का मूल्य 3000 रु. (वर्तमान वर्ष में)	
2) गाँव - पोड़ी हरवरी तहसील - खजुराहो जिला - दशरगवाड़ा	—	कुबेलाभूमि 5-50 एकड़	लगभग 5,00,000 रु. (पंचायत द्वारा खरीदा)	स्वयं के नाम से	2) पूर्वजों से प्राप्त	2) कुबेला मूल्य 1000 रु. रु. 1000 है। 3-50,000 रु. संलग्न संपत्ति का मूल्य 3000 रु. (वर्तमान वर्ष में)	
3) गाँव - बरखेडा कुवा तहसील - खजुराहो जिला - दशरगवाड़ा	—	1500 फीट कारकाट	लगभग 50,000 रु. (पंचायत द्वारा खरीदा)	स्वयं के नाम से	3) पूर्वजों से	3) —	
4) गाँव - चतुरखेडा तहसील - खजुराहो जिला - दशरगवाड़ा	—	कुबेलाभूमि 6-50 एकड़	लगभग 6,50,000 रु. (पंचायत द्वारा खरीदा)	निधिन रघुवंशी के नाम (पुत्र)	4) स्वामीय दादाजी द्वारा हस्तांतरित	4) पंचायत द्वारा खरीदा मूल्य 70,000 रु. (सर्वकार द्वारा खरीदा)	
5) मायाक शहर में दामिनिनगर में D-3/577	30x40 मूखण्ड पर निर्माणधीन भवन	—	लगभग 6,00,000 रु. (स्वयं द्वारा खरीदा)	श्रीमति ज्योति रघुवंशी (पत्नी)	5) मेरे स्व: सखुखी एवं मेरे स्व: पिलाजी द्वारा खरीदा किया गया	5) —	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर गोविन्द लाल रघुवंशी
नाम सहायक मजदूर
पद